

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण,
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-Section (i)

प्रधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 253] नई दिल्ली, शनिवार, अगस्त 26, 1978/भाद्र 4, 1900

No. 253] NEW DELHI, SATURDAY, AUGUST 26, 1978/BHADRA 4, 1900

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation.

वाणिज्य, नागरिक पूति और सहकारिता मंत्रालय

(नागरिक पूति और सहकारिता विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 अगस्त, 1978

सां० का० नि० 431 (अ) :—केन्द्रीय सरकार, बाट और माप मानक (पैकेज में रखी हुई वस्तु) नियम, 1977 के नियम 1 के उपनियम (4) के उपबन्धों के अनुसरण में, और भारत सरकार के नागरिक, वापूति और सहकारिता मंत्रालय की अधिसूचना सं० सां० का० नि० 621 (अ), तारीख 26 सितंबर, 1977 का आंशिक उपान्तरण करते हुए, और भारत सरकार के वाणिज्य, नागरिक पूति और सहकारिता मंत्रालय (नागरिक पूति और सहकारिता विभाग) की अधिसूचना सं० सां० का० नि० 346 (अ), तारीख 30 जून, 1978 को अधिकांत करते हुए, 1 नवंबर, 1978 को उस तारीख के रूप में नियत करती है, जिसको उक्त नियमों के निम्नलिखित उपबन्ध प्रवृत्त हो जाएंगे, अर्थात् :—

(1) नियम 5;

(2) नियम 6 के उपनियम (1) के खण्ड (ड०) और (क);

555GI/78

(745)

(3) नियम 7;

(4) नियम 12 के उपनियम (3), (4), (5) और (6);

(5) नियम 13, 14, 18, 20, 21, 28, 29, 30, 31, 32, 33; और

(6) नियम 34 के उपबन्धों का उसका भाग जिसका संबंध किसी कार्यशाला, सर्विस स्टेशन या किसी अन्य स्थान में, जहाँ किसी बाइसिकल या ट्रिसिकल को सर्विसिंग या मरम्मत होती है, प्रयोग में आए जाने वाले किसी संघटक, पुर्जे या पदार्थ से है।

[सं. फा० डब्ल्यू० एम० 9(36)/77]

टी० बालकृष्णन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE, CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION

(Department of Civil Supplies and Cooperation)

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th August, 1978

G.S.R. 431(E).—In pursuance of the provisions of sub-rule (4) of rule 1 of the Standards of Weights and Measures (Packaged Commodities) Rules, 1977, in partial modification of the notification of the Government of India in the late Ministry of Civil Supplies and Cooperation No. G.S.R. 621(E), dated the 26th September, 1977, and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Commerce, Civil Supplies and Cooperation (Department of Civil Supplies and Cooperation) No. G.S.R. 346(E), dated the 30th June, 1978, the Central Government hereby appoints the 1st day of November, 1978 as the date on which the following provisions of the said rules shall come into force, namely :—

(i) rule 5;

(ii) clauses (e) and (g) of sub-rule (1) of rule 6;

(iii) rule 7;

(iv) sub-rules (3), (4), (5) and (6) of rule 12;

(v) rules 13, 14, 18, 20, 21, 28, 29, 30, 31, 32, 33; and

(vi) so much of the provisions of rule 34 as relate to any component, part or material used in any workshop, service station or any other place where servicing or repairing of any bicycle or tricycle is undertaken.

[F. No. WM-9(36)/77]

T. BALAKRISHNAN, Jt. Secy.